रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73

REGISTERED NO. D.(D)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21, 1977/वैशाख 31, 1899

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21, 1977/VAISAKHA 31, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1977

सा०का०नि० 630.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 351, तारीख 25 जनवरी, 1958 में, जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किसी सिविल अधिकारिता वाले न्यायालय में वादों में वादपत्रों और उल्लिखित कथनों में हस्ताक्षर करने और सत्यापन से संबंधित है, निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में शीर्ष "6—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत में अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"हथकरघा विकास आयुक्त, नई दिल्ली ।

हथकरघा संयुक्त विकास आयुक्त, नई दिल्ली ।

निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र, मुम्बई ।

निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र, मद्रास ।

प्रधानाध्यापक, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, सालिम ।

प्रधानाध्यापक, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, वाराणसी ।

हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली के अधीन बुनकर सेवा केन्द्रों में उप-निदेशक/सहायक निदेशक ।

[सं० एफ० 16(1)/76-जुडिशियल]

पी० के० बोस, सालिसिटर

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 28th March, 1977

G.S.R. 630.—In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law, S.R.O. No. 351, dated the 25th January, 1958, relating to the signing and verification of plaints and written statements in suits in any court of civil jurisdiction by or against the Central Government, namely :—

In the Schedule to the said notification, under the heading "VI—Ministry of Commerce and Industry", the following entries shall be inserted at the end, namely :—

18

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मई, 1977

सा० का० नि० 660.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बीड़ी उद्योग, अर्थात् बीड़ी विनिमाण में लगे हुए किसी उद्योग के कर्मचारियों की बाबत कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन एक भविष्य निधि स्कीम बनाई जानी चाहिए।

अतः, अब कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 31 मई, 1977 तारीख से उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में उक्त उद्योग जोड़ती है।

[सं० 4(9)/66-पी० एफ० II]

एस० एस० सहस्रानामन, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th May, 1977

G.S.R. 660.—Whereas the Central Government is of opinion that a provident fund scheme should be framed under the Employees' Provident Funds and Miscellanous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) in respect of the employees of the beedi industry, that is to say, any industry engaged in the manufacture of beedis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby adds with effect from the 31st May, 1977 the said industry to Schedule I to the said Act.

[No. 4(9)/66-PFII]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

Attested.

विधि अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग,
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54 21/11/12

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1977